www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 17.02.2017

जालीसाजी मामले में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक एवं दो अन्यों को प्रत्येक पर 2.5 लाख रू. जुर्माने सहित 05 वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, बंगलौर (कर्नाटक) ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कुमारा पार्क शाखा, बंगलौर के पूर्व मुख्य प्रबन्धक श्री बी.वी.वी.एस.एन. मूर्ती एवं श्री डी. मुरूगेशन व श्रीमती एम. ललिथा (दोनो प्राइवेट व्यक्ति) को 2.5 लाख रू. प्रत्येक पर जुर्माने सहित 05 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कुमारा पार्क शाखा,बंगलौर के मुख्य प्रबन्धक ने जुलाई 1999 से फरवरी, 2000 के दौरान अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुए एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के साथ धोखाधड़ी की। आरोपियों ने बनावटी एवं झूठे वेतन प्रमाण पत्र,कर्मचारी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर लगभग 208 जाली तथा गैर-वास्तविक उधारकर्ताओं को 106.53 लाख रू. (लगभग) की राशि का व्यक्तिगत ऋण पास व ज़ारी कर दिया। जॉंच के पश्चात, दिनांक 07.04.2004 को नामित अदालत में आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ।

विचारण अदालत ने आरोपियों को कसूरवार पाया व उन्हे दोषी ठहराया।

****